डीजी–परिपत्र संख्या–03/2020

ओ0पी0 सिंह

आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश

पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
दिनांक : लखनऊ, जनवरी 28,2020

विषय:– SUO MOTO WRIT PETITION (Criminal) No. 1/2019, IN RE: ALARMING RISE IN THE NUMBER OF REPORTED CHILD RAPE INCIDENTS के मामलें में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.07.2019 के क्रम में पारित निर्णय दिनांक 13.11.2019 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

कृपया उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–4065/छ:–पु0–9–19–31(95)/2019टीसी गृह (पुलिस) अनुभाग–9 दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SUO MOTO WRIT PETITION (Criminal) No. 1/2019, IN RE: ALARMING RISE IN THE NUMBER OF REPORTED CHIlD RAPE INCIDENTS के मामलें में पारित निर्णय दिनांक 13.11.2019 में विवेचना शुरू किये जाने से ट्रॉयल के स्तर तक अधिनियम में निर्धारित समयावधि का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाना पाया गया है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन मामलों में निर्धारित समयावधि में विवेचना पूर्ण करने में जागरूकता/दृढ़संकल्प का अभाव पाया गया है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पाक्सो अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले वादों को अधिनियम में निर्धारित समयावधि में ट्रॉयल सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गयी है।

2. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.11.2019 के कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

> " We direct all the State Government as well as Union of India to do what is required to be done to ensure that all stages of investigation as well as trial, as contemplated under the Act, are completed within the time frame by creation of additional force for investigation. We further direct the Union of India and the State Governments to take steps for sensitization of official associated with the investigation and also for creation or assignment of dedicated courts to try POCSO cases on top priority so that charge-sheet are filled within the mendatory period and trials are completed within the time frame completed under the Act."

3. आप सहमत होगें कि बच्चों के साथ घटित इस प्रकार के गम्भीर अपराध अत्यन्त निन्दनीय हैं एवं समाज तथा न्याय व्यवस्था के लिए गम्भीर चिन्तन का विषय भी है। इस प्रकार के घटित अपराधों पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु पुलिस द्वारा त्वरित प्रभावी कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक है। इसलिए यह आवश्यक है कि महिलाओं/बच्चों के प्रति इस प्रकार के घटित अपराधों पर प्रभावी नियन्त्रण, वैज्ञानिक तथ्यपरक विवेचना एवं अभियोजन के सम्बन्ध में आवश्यक मार्ग–दर्शन हेतु समय–समय पर इस मुख्यालय से पार्श्वांकित परिपत्र अनुपालनार्थ निर्गत किये गये हैं, परन्तु अभी भी इन निर्गत निर्देशों का आप सभी द्वारा गम्भीरता से समुचित अनुपालन नही कराया जा रहा है।

डीजी परिपत्र संख्या-03/13 दिनांक 17.01.13
डीजी-सात-एस-3(23)/2012 दिनांक 13.04.13
डीजी परिपत्र संख्या-16/13 दिनांक 29.04.13
डीजी परिपत्र संख्या-19/13 दिनांक 06.05.13
डीजी परिपत्र संख्या-62/13 दिनांक 14.11.13
डीजी परिपत्र संख्या-45/15 दिनांक 15.06.15
डीजी परिपत्र संख्या-68/15 दिनांक 07.10.15
डीजी परिपत्र संख्या-20/16 दिनांक 13.04.16
डीजी परिपत्र संख्या-49/16 दिनांक 12.08.16
डीजी परिपत्र संख्या-16/18 दिनांक 21.04.18
डीजी परिपत्र संख्या-23/19 दिनांक 19.06.18
डीजी परिपत्र संख्या-53/19 दिनांक 19.12.18

4. इस सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत बलात्कार जैसे गम्भीर अपराधों की विवेचनाओं का समयावधि में शीघ्र निस्तारण हेतु पूर्व में आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये हैं अतएव मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अक्षरशः पालन कराये जाने हेतु अपने **जनपद में एक नोडल अधिकारी** नियुक्त कर दें जो ऐसे अपराधों का समयबद्ध गुणवत्तापरक निस्तारण कराये जाने में विवेचक को यथोचित मार्गदर्शन करते हुए विवचेनाओं का नियत अवधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगें, ताकि मा0 न्यायालय में किसी प्रकार की असहत स्थिति का सामना न करना पड़े।

5. उपरोक्त के क्रम में शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में **समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशकों को अपने जोन के Child Rape तथा POCSO Act के अपराधों के अनुश्रवण हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है** तथा निर्देशित किया जाता है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.11.2019 के अनुपालन में विवेचना के सम्बन्ध में अधिनियम में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत विवेचना पूर्ण कराने हेतु सभी जनपदीय नोडल अधिकारियों को इस सम्बन्ध में कड़े निर्देश निर्गत करें।

6. जोनल नोडल अधिकारी पाक्सो एक्ट के वादों की निर्धारित समयावधि में विवेचना पूर्ण किये जाने हेतु सभी जनपदीय नोडल अधिकारियों को संवेदनशील कराते हुये इसके लिये यदि अतिरिक्त बल की आवश्यकता हो, तो उसके गठन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा विवेचना से ट्रॉयल तक की कार्यवाही पाक्सो अधिनियम में निर्धारित समयावधि के अनुसार सुनिश्चित करायी जाये तथा कृत कार्यवाही की सूचना संकलित कर अपर पुलिस महानिदेशक, महिला सम्मान प्रकोष्ठ,उ0प्र0 को उपलब्ध करायेंगे। अपर पुलिस महानिदेशक, महिला सम्मान प्रकोष्ठ प्रदेश की संकलित सूचना को अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लाते हुये शासन को उपलब्ध करायेंगे।

भवदीय

28.1.20

(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद
उ0प्र0/

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण निदेशालय/ई0ओ0डब्लू/एस0आई0टी/सी0बी0सी0आई0डी0/अभिसूचना/ फायर सर्विस/कारागार उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय मानवाधिकार/प्रयागराज/रेलवे/अपराध/पी0ए0सी0/दूरसंचार उ0प्र0।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0।
4. पुलिस महानिरीक्षक यातायात उ0प्र0।
5. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र उ0प्र।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उ0प्र0।